-:प्रेस नोट:-

दिनांक- 30.06.2025

कार्यालय पुलिस अधीक्षक बांदा

- **थाना कोतवाली नगर पुलिस टीम द्वारा गायत्रीनगर में चल रही अवैध नकली एवं अपमिश्रित गुटखा निर्माण फैक्ट्री का भंडाफोड़ करते हुए 02 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार।**
- **अभियुक्तों के कब्जे से लगभग 18 लाख रुपये की कीमत का निर्मित, अर्द्धनिर्मित गुटखा व गुटखा बनाने की सामग्री, रैपर, सीलिंग मशीन आदि बरामद। अभियुक्त प्रमोद उर्फ राजा द्वारा अपने मकान में किया जा रहा था अवैध अपमिश्रित गुटखा का निर्माण।**

विवरण- पुलिस अधीक्षक बांदा श्री पलाश बंसल के कुशल निर्देशन में जनपद में अपराध व अपराधियों पर नियंत्रण लगाये जाने तथा नशीले पदार्थों का उत्पाद/बिक्री करने वाले अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक बांदा श्री शिवराज के निकट पर्यवेक्षण एवं क्षेत्राधिकारी नगर श्री राजीव प्रताप सिंह के नेतृत्व में कल दिनांक 29.06.2025 को देर रात्रि थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा एक बड़ी कार्यवाही करते हुए अवैध रूप से संचालित हो रही गुटखा बनाने की फैक्ट्री का भंडाफोड़ करते हुए 02 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार। मौके से 03 गुटखा बनाने वाली मशीनें अर्द्धनिर्मित गुटखा व गुटखा बनाने की सामग्री आदि सामान भारी मात्रा में किया गया बरामद। गौरतलब हो कि पुलिस को सूचना मिली कि गायत्रीनगर निवासी प्रमोद गुप्ता के मकान में कुछ लोगों द्वारा अवैध गुटखा का निर्माण किया जा रहा है। सूचना का संज्ञान लेते हुए थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा टीम के साथ मौके पर छापेमारी करते हुए अवैध गुटखा का निर्माण करते हुए 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ में अभियुक्तों द्वारा बताया गया कि मकान मालिक प्रमोद गुप्ता व उनके साथी सुरेन्द्र द्वारा यह फैक्ट्री संचालित की जा रही है। उनके द्वारा गुटखा बनाने की सामग्री दी जाती है तथा माल तैयार होने पर उन्हीं लोगों द्वारा सप्लाई की जाती है। पुलिस द्वारा नामित अन्य 02 अभियुक्तों की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे है।

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. रमेश विश्वकर्मा पुत्र लक्ष्मी नारायण निवासी गायत्रीनगर थाना कोतवाली नगर जनपद बांदा।
2. सुदामा प्रसाद पुत्र रामदास निवासी कुरौली थाना कोतवाली नगर जनपद बांदा।

वांछित/फरार अभियुक्त-

1. प्रमोद कुमार उर्फ राजा गुप्ता पुत्र शिवकुमार निवासी गायत्रीनगर थाना कोतवाली नगर जनपद बांदा।
2. सुरेन्द्र रोहड़ा उर्फ बाबू सिंधी निवासी सिन्धी गुरुद्वारा स्टेशन रोड थाना कोतवाली नगर जनपद बांदा।

बरामदगी-

- 03 गुटखा पैकिंग मशीन
- नकली गुटका निर्माण में प्रयुक्त की जाने वाली 269 किलोग्राम सुपाड़ी
- तम्बाकू 160 किलोग्राम
- 08 बोरी निर्मित/अपमिश्रित 191 किलोग्राम नकली गुटका विभिन्न ब्रांडस (शिवम, रुद्रा, कमल, B-2, J-S Plus, SNK,विजय, गणेश, मजा, साईप्लस, चन्द्रकमल आदि)
- 13 अलग-अलग गुटखा ब्राण्ड के 892 किलोग्राम रैपर

पंजीकृत अभियोग-

- मु0अ0सं0- 570/25 धारा 318/319/338/336/340/274/275 बीएनएस व 59 खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम थाना कोतवाली नगर जनपद बांदा।

गिरफ्तारी करने वाली टीम-

1. प्र0नि0 कोत0 नगर श्री बलराम सिंह
2. श्री आशुतोष त्रिपाठी चौकी प्रभारी मण्डी समिति
3. श्री अनुराग पाण्डेय चौकी प्रभारी सिविल लाइन
4. म0उ0नि0 रश्मि सिंह
5. हे0कां0 इन्द्रपाल
6. कां0 प्रशांत कुमार
7. कां0 सत्यम
8. कां0 जितेन्द्र दुबे